झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग

चाय बगान, कालीनगर, नामकोम, राँची–834010.

विशेष शाखा आरक्षी (क्लोज कैडर) प्रतियोगिता परीक्षा–2018

आवश्यक सूचना

दिनांकः–13.08.2019

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 05/2018 विशेष शाखा आरक्षी (क्लोज कैडर) प्रतियोगिता परीक्षा–2018 दिनांक 01.09.2019 को दो पालियों में निर्धारित की गई है। उक्त के लिए प्रवेश पत्र (Admit Card) डाउनलोड करने हेतु लिंक दिनांक 13.08.2019 के संध्या 08:00 बजे से 01.09.2019 तक आयोग के वेबसाईट www.jssc.nic.in पर उपलब्ध कराया जाएगा।

2. प्रवेश पत्र Download करने हेतु Admit Card Section पर जाकर **Online Admit Card Link for written test of SBCCE-2018** पर Click करते हुए सम्बन्धित अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन संख्या तथा जन्म तिथि डालते हुए अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र (Admit Card) अलग से डाक द्वारा नहीं भेजा जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र (Admit Card) डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो वे दिनांक–30.08.2019 को फोटो एवं हस्ताक्षर युक्त अपने आवेदन पत्र के प्रिंट आउट तथा परीक्षा शुल्क भुगतान के प्रमाण के साथ कार्यालय अवधि में आयोग कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

3. उपर्युक्त परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को निन्नलिखित सलाह दी जाती है :–

क) अभ्यर्थी अपने निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश पत्र में अंकित तिथि को पूर्वाहन् 07:30 बजे निश्चित रूप से पहुँच जाये तथा अभ्यर्थी पूर्वाहन् 08:30 बजे तक परीक्षा केन्द्र में अनिवार्य रूप से प्रवेश कर जायें। जहाँ उनकी सम्यक् जाँच के उपरान्त उनका बायो मैट्रिक डाटा तथा डिजिटल फोटो लिया जायेगा।

ख) पूर्वाहन् 9:00 बजे के पश्चात् परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

ग) अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राईविग लाईसेंस, पासपोर्ट में से कोई एक फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र अपने साथ रखें तथा परीक्षा के समय मांगे जाने पर उसे प्रस्तुत करें। यदि पहचान पत्र एवं प्रवेश पत्र में नाम इत्यादि में कोई भिन्नता होगी तो सम्बन्धित अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा एवं इसके लिए सम्बन्धित अभ्यर्थी ही उत्तरदायी होंगे।

घ) कैलकुलेटर, पेजर, मोबाईल फोन, डिजिटल डायरी, लॉग बुक, ईयर फोन, ब्लू टुथ अथवा कोई अन्य संचार यंत्र/इलेक्ट्रोनिक उपकरण के साथ परीक्षा केन्द्र परिसर में प्रवेश करना निषिद्ध है। इस निदेश की अवहेलना को परीक्षा में कदाचार मानते हुए संबंधित अभ्यर्थी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के साथ–साथ आपराधिक मामला भी दर्ज किया जा सकता है।

ङ) परीक्षा केन्द्रों पर CCTV की व्यवस्था की गई है।

ह०/–
परीक्षा नियंत्रक।